संख्या- 21 /2019/1810 /33-3-2019-100(16)/2015

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 22 अगस्त, 2019**

विषय- नमामि गंगे/गंगा एक्शन प्लान योजना में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश क्रमश: रू. 1000.00 लाख व रू. 2759.00 लाख इस प्रकार कुल रू. 3759.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश मद में रू. 2506.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 के पत्र संख्या-5/456/2019-5/172/2019 दिनांक 23.07.2019, पत्र संख्या-5/193/2019-5/172/2019 दिनांक 28.05.2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में प्रावधानित धनराशि रू. 462000.00 लाख में से नमामि गंगे/गंगा एक्शन प्लान योजना में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश क्रमश: रू. 1000.00 लाख व रू. 2759.00 लाख इस प्रकार कुल रू. 3759.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश मद में रू. 2506.00 लाख (रू. पचीस करोड छ लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबंधों /नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण /सत्यापन हेतु पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(5) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जवाहर भवन लखनउ में उ0प्र0 स्टेट वाटर एण्ड सैनीटेशन मिशन (गंगा एक्शन प्लान) के नाम से खोले गये खाता संख्या- 35111378080 आई0एफ0एस0सी0 कोड एस बी आई एन 0006144 में अवमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(6) उक्त मदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में प्रावधानित धनराशि रू. 462000.00 लाख में से लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-03-स्वच्छ भारत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.60/रा.40 के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(8) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(9) भारत सरकार द्वारा उक्त केन्द्रांश की धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 हेतु कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृत की गयी है। अत: उक्त धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय किए जाने पर भारत सरकार की स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी।

(10) स्वीकृत धनराशि निर्गत करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज योजना हेतु निर्गत गाइडलाइन्स/दिशा-निर्देशों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु स्वीकृत कार्यों की वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रासंगिकता और उसके औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेंगें।

(11) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 संतुष्ट हो लेंगे कि योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश सम्बन्धित खाते में प्राप्त हो चुकी है।

(12) स्वीकृत धनराशि निर्गत करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाईडलाइन के अनुसार नमामि गंगे परियोजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश (40 प्रतिशत) अनुमन्य होने के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेंगें।

(13) स्वीकृत धनराशि निर्गत करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 गंगा एक्शन प्लान/नमामि गंगा परियोजना हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्धारित कार्यों/लक्ष्यों की वित्तीय प्रगति से संतुष्ट हो लेंगें।

(14) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक मैनुअल के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(15) इस सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गई धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(16) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार/समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(18)स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(19) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत न ही की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(20) योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी स्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

(21) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश स्वस्तर से कर लेंगें।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-यू.ओ.-591 ई-2/-X19 दिनांक 20.08.2019 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक- तदैव।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

3- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 के पत्र संख्या-5/456/2019-5/172/2019 दिनांक 23.07.2019, पत्र संख्या-5/193/2019-5/172/2019 दिनांक 28.05.2019 के क्रम में।

4- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- एन0आई0सी0 की प्रति।

7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।